

**FORM NO.111**

फर्द अहकाम




(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुवालाल वगै० बनाम भूराराम वगै०

किरम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 29/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज	न्यायालय द्वारा जारी हुक्म की तारीख में जारी हुई
25.08.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री हणमान राम सार्माता एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>दिलीप सिंह</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</b> </p>	
08.05.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 887 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>( अनिल कुमार )</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</b> </p>	<p>ऑनलाइन मिलान किया गया। आदेश की पालना न्या.सं. 887 दि. 29.8.22 द्वारा की गयी।</p> <p style="text-align: center;">   <b>9LR</b> </p>

